RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ६] **शुक्रवार, मार्च ११, २०१६/फाल्गुन २१, शके १९३७** **[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

विधि तथा न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २३ फरवरी २०१६ .

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2016.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४, सन् २०१६ .

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, २०१५, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में ८ दिसंबर २०१५ को विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५९ सन् २०१५ के रुप में महाराष्ट्र विधानसभा में पुरस्थापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल के सत्र का २३ दिसंबर २०१५ को सत्रावसान होने के कारण राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; सन् १९५० का २९।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह, तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९५० का महा. २९ की धारा २२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २२ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन १९५० का २९।

" (३क) उप या सहायक पूर्त आयुक्त, ऐसी विस्तृत और निष्पक्ष जाँच करने और जैसा कि विहित की जाये ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात्, निम्न आधारों पर न्यास अरजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :—

(क) जब इसके प्रयोजन की पूरी तरह से पूर्ति हुई हो ; या

(ख) जब इसका प्रयोजन अविधिमान्य हो ; या

(ग) जब, न्यास-संपत्ति या अन्य के विनाश द्वारा इसके प्रयोजन की पूर्ति असंभव हो ; या

(घ) जब, न्यास प्रतिसंहार्य होते हुये, अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहृत होती है ; या

(ड़) जब, न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई कार्य नहीं करते पाये गये हैं।

" परन्तु, कोई भी न्यास, इस अधिनियम या, यथास्थिति, तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा या के अधीन यथा विहित परिवर्तन प्रतिवेदित करने, लेखाओं के प्रस्तुतीकरण या अनुपालन करने के अंतिम दिनांक से पाँच वर्षो की अवधि के लिये उसके न्यासी, उप-धारा (१) के अधीन परिवर्तन प्रतिवेदित करने में, धारा ३३ की उप-धारा (२) या धारा ३४ की उप-धारा (१क) द्वारा यथा विहित लेखा संपरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किये गये किसी अन्य अनुपालन करने में चूक नहीं की गई है तो खंड (ड़) के अधीन अरजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा।

(३ख) उप या सहायक पूर्त आयुक्त, उप-धारा (३ क) के अधीन, अरजिस्ट्रीकृत न्यास की संपत्ति का प्रबंधन अधिकार में ले सकेगा और उसी के लिये, वह उचित समझे उसके समान ऐसे आवश्यक आदेश पारित करेगा और यदि, वह इष्टकर समझता है तो उसे विक्रय या अन्य द्वारा समाप्त कर सकेगा और धारा ५७ के अधीन स्थापित लोक न्यास प्रशासन निधि में विक्रय आगमों को जमा करेगा।"।

सन् १९५० का २९ की धारा ३६क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३६ क की, उप-धारा (३) में, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, पूर्त आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त पूर्त आयुक्त, यदि बैंक या वित्तीय संस्था कर्ज को अनन्तिम मंजूरी देती है तो बैंक या वित्तीय संस्था से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर तुरन्त और अधिमानत: राशि उधार लेने के लिये, आवेदन करने का विनिश्चय करेगा। "।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) महाराष्ट्र राज्य में, लोक धार्मिक और पूर्त न्यासों के प्रशासन के लिये विनियमित करता है और बेहतर उपबंधों को बनाता है। उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (१३) के अनुसार, " लोक न्यास " का तात्पर्य, लोक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन या दोनों के लिये, अभिव्यक्त और रचनात्मक न्यास, जिसमें मंदिर, मठ, वक्फ़, चर्च, यहूदी प्रार्थनाभवन, अग्यारी या सार्वजनिक धार्मिक उपासना के अन्य स्थानों में पूर्त या किसी अन्य धार्मिक या **पूर्त विन्यास** और धार्मिक या **धर्मादाय** उद्देश्य या दोनों के लिये बनाई गई और संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई संस्था का समावेश है, से है।

उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य में कई सारे न्यास रजिस्ट्रीकृत किये गये है। पूर्त आयुक्त कार्यालय के यह ध्यान में आया है कि, न्यासी उचित रित्या से कार्य नहीं कर रहे हैं, और इसके परिणामस्वरुप, तीन लाख लोक न्यासों से भी अधिक न्यास उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। पूर्त आयुक्त कार्यालय को अत्याधिक बोझ के कारण ऐसे न्यासों के अभिलेखों की जाँच करनी पड़ रहीं हैं। उक्त अधिनियम में ऐसे न्यासों के समेकन या ऐसे न्यासों के समापन के लिए कोई उपबंध नहीं हैं। ऐसे न्यासों के प्रभावी प्रबंधन के लिये, ऐसे न्यासों से प्रभावी रूप से सामना करने के लिये उप और सहायक पूर्त आयुक्त को शक्ति प्रदत्त करना इष्टकर है। तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा २२ में नयी उप-धारा (३क) की निविष्टि करना प्रस्तावित किया गया है, भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (सन् १८२२ का २) की धारा ७७ की तर्ज पर, उपबंधित किया गया है कि, उप और सहायक पूर्त आयुक्त, ऐसी विस्तृत और निष्पक्ष जाँच करने और जैसा कि विहित किया जाये, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात्, निम्न आधारों पर न्यास अरजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :—

(क) जब उसके प्रयोजन की पूरी तरह से पूर्ति हुई है ; या

(ख) जब उसके प्रयोजन अविधिमान्य है ; या

(ग) जब, न्यास संपत्ति या अन्य के विनाश द्वारा इसके प्रयोजन की पूर्ति असंभव है ; या

(घ) जब, न्यास प्रतिसंहर्य होते हुए, अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहृत होती है ; या

(ड़) जब न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई कार्य नहीं करते पाया गया है :

यह भी उपबंधित करने का प्रस्तावित है कि, कोई भी न्यास, इस अधिनियम या, यथास्थिति, तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा या के अधीन यथा विहित परिवर्तन प्रतिवेदित करने, लेखाओं के प्रस्तुतीकरण या अनुपालन करने के परिवर्तन प्रतिवेदित अंतिम दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिये उसके न्यासी उप-धारा (१) के अधीन परिवर्तन प्रतिवेदित करने में, धारा ३३ की उप-धारा (२) या धारा ३४ की उप-धारा (१क) द्वारा यथा विहित लेखा संपरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण करने में या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किये गये किसी अन्य अनुपालन करने में चूक नहीं की गई है तो खंड (ड) के अधीन अरजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा।

उक्त उप-धारा (३क) की निविष्टि के परिणामत:, उक्त धारा २२ में नवीन उप-धारा (३ख) की निविष्टि करना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करती है कि, उप या सहायक पूर्त आयुक्त, उप-धारा (३क) के अधीन, अरजिस्ट्रीकृत न्यास की संपत्ति का प्रबंधन अधिकार में लेगा और वह उचित समझे उसके समान, ऐसे आवश्यक आदेश पारित करेगा और यदि, वह इष्टकर समझता है तो उसे विक्रय या अन्य के द्वारा समाप्त कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा ५७ के अधीन संग्रहित लोक न्यास प्रशासन निधि में विक्रय आगमों को जमा करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३६क की उप-धारा (३) यह उपबंध करती है कि, कोई न्यासी, न्यास के प्रयोजनों के लिये या जिसका वह न्यासी है की ओर से, पूर्त आयुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवाय और न्यास के हित और संरक्षण में उसके द्वारा अधिरोपित किया जाये ऐसे शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन, राशि (चाहे बन्धक या अन्य मार्ग द्वारा) उधार नहीं लेगा। राशि उधार लेने के लिये ऐसी पूर्व मंजूरी देने के लिये आवेदन लम्बी अवधि के लिये पूर्त आयुक्त या संयुक्त पूर्त आयुक्त के कार्यालय में लंबित रहते है। इसलिये, उप-धारा (३क) में परंतुक, जोडना इष्टकर समझा गया है जो यह उपबंध करता है कि, पूर्त आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त पूर्त आयुक्त, बैंक या वित्तीय संस्था से राशि उधार लेने के लिये तुरन्त या अधिमानतः यदि, बैंक या वित्तीय संस्था ने कर्ज की अनन्तिम मंजूरी देने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर आवेदन करने का विनिश्चय करेगा।

२. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में, दिनांक ८ दिसंबर २०१५ को, विधान सभा विधेयक क्र. ४९, सन् २०१५ के रुप में, महाराष्ट्र विधान मंडल में, महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, २०१५ पुरस्थापित किया गया था। तथापि, राज्य विधान मंडल के सत्र का २३ दिसंबर २०१५ को सत्रावसान होने के कारण उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो सका था। इसलिये, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) में तत्काल उक्त संशोधनों को कार्यान्वित करना इष्टकर समझा गया है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, (सन् १९५० का २९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई,
दिनांकित २० फरवरी २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से ।

एन. जे. जमादार,
सरकार के
विधिक कार्य के प्रधान सचिव
तथा अनुस्मारक ।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.